मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

उच्च शिक्षा विभाग

दिनांक: 21-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
634	मांग संख्या (क्रमांक 44) दि. 21-07-2019 (श्री संजीव सिंह,श्री शैलेन्द्र जैन,श्री राज्यवर्धन सिंह,श्री यशपाल सिंह सिसौदिया)	(1) जिला भिण्ड के लहार में पुराने शासकीय डिग्री कॉलेज में कॉमर्स संकाय व पीजी कोर्स प्रारंभ किया जाना। (2) जिला सागर में कन्या महाविद्यालय को पहला महिला महाविद्यालय बनाया जाना। (3) प्रदेश में 25 प्रतिशत प्रोफेसर्स की भर्ती दो माह के भीतर किया जाना।	(1) मैं आज जाने के बाद ही इसकी व्यवस्था करूंगा। (2) इस ओर आगे काम किया जाएगा। (3) 25 प्रतिशत प्रोफेसर्स की भर्ती आने वाले डेढ़ से दो महीने के पूर्व करेंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक: 21-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
635	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.372) दि. 21-07-2019 (श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)	प्रदेश के समस्त आदिवासी विकासखण्डों हेतु कुल 20 जिलों की आदिवासी कृषकों एवं विशेष पिछड़ी जनजातियों के कृषकों को कृषि उत्पाद उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग आदि हेतु वर्ष 2017-18 में विभाग द्वारा जारी राशि का लाभ न मिलने से सूचना लगाने वाले सभी 07 माननीय सदस्यों **(सर्व श्री नीलाँशु चतुर्वेदी, संजय उइके, योगेन्द्र सिंह बाबा, प्रताप ग्रेवाल, सुनील सराफ, विजय राघवेन्द्र सिंह, फुन्देलाल सिंह मार्को)** की कमेटी गठित कर जांच कराई जाना।	(1) मैं उनकी भावना के अनुसार एक कमेटी गठित करके उसमें आदरणीय मार्को जी को भी शामिल किया जायेगा । उसमें तमाम अधिकारियों को शामिल करके उसकी विस्तृत जांच करके हम आपको सूचित करने का काम करेंगे। (2) **माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश :-** जिन 07 सदस्यों ने प्रश्न लगाये हैं। इनको इस जांच में रखा जाता है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

खेल और युवा कल्याण विभाग

दिनांक: 21-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
636	मांग संख्या (क्रमांक 43) दि. 21-07-2019 (श्री राज्यवर्धन सिंह)	(1) प्रदेश में विभाग की जमीनों का उपयोग के संबंध में गाइडलाईन बनाया जाना। (2) प्रदेश के फीडर सेंटरों के बच्चों को भोजन, आवागमन का पैसा व अन्य सामग्री उपलब्ध कराया जाना। (3) विभाग की संस्था डी.एस.वाय.डब्ल्यू. द्वारा फर्जी डिप्लोमा कार्यक्रम चलाए जाने की जांच कराई जाना।	(1) मैं आज ही इस विषय पर गाइड लाईन बनाकर जारी करवाने के लिये आप और राजवर्धन सिंह, दोनों के आदेश पर निर्णय लूंगा। (2) यह कार्य किया जायेगा। (3) उसकी जांच करायी जायेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिनांक: 21-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
637	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.718) दि. 21-07-2019 (श्री संजीव सिंह)	(1) जिला टीकमगढ़ के डी.एम.नान द्वारा परिवहन का भुगतान किया जाना तथा शिकायतों पर परीक्षण किया जाना। (2) जिला टीकमगढ़ में वर्ष 2013 में गेहूं भण्डारण व परिवहन में की गई अनियमितता की जांच एवं दोषी अधिकारियों पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाकर कार्यवाही की जाना। (3) जिला टीकमगढ़ में वर्ष 2013 में गेहूं भण्डारण व परिवहन में हुई अनियमितता की जांच व एफ.आई.आर. दर्ज कर दोषियों से पेनाल्टी वसूल की जाना। (4) जिला टीकमगढ़ में वर्ष 2013 में गेहूं भण्डारण व परिवहन में अनियमितता के दोषी संबंधित डी.एम. नान को जांच पूर्ण होने तक निलंबित किया जाना। (5) जिला टीकमगढ़ में वर्ष 2013 में गेहूं भण्डारण व परिवहन के दोषियों पर एक सप्ताह में कार्यवाही कर माननीय सूचनाकर्ता विधायक को सूचित किया जाना। (6) जिला टीकमगढ़ में वर्ष 2013 में गेहूं भण्डारण व परिवहन में जांच निष्कर्षानुसार कार्यवाही व एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाना। (7) जिला टीकमगढ़ में वर्ष 2013 में गेहूं भण्डारण व परिवहन में हुई अनियमितता के दोषी परिवहनकर्ता पर एफ.आई.आर. दर्ज कर शासन को हुई आर्थिक हानि की वसूली की जाना।	(1) भुगतान की कार्यवाहियां प्रचलित हैं । टीकमगढ़ की शिकायतों पर परीक्षण प्रचलित है। (2) मैं विधायक जी की उपस्थिति में पांच दिवस के अंदर जांच कराऊंगा। एफ.आई.आर. की जाएगी। जो अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करूंगा। (3) जो भी पैनाल्टी फिक्स होगी, हम वह उससे वसूलेंगे। (4) डी.एम.नान को जांच होने तक निलंबित करता हूं। (5) हम हफ्ते भर के अंदर आपको कार्यवाही कर बता देंगे। (6) जांच रिपोर्ट के आधार पर मैं संबंधितों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा। उसमें एफ.आई.आर. भी करूंगा। (7) जो दोषी है, उस पर मैं एफ.आई.आर. भी कराऊंगा और परिवहनकर्ता से वसूली भी कराऊंगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

दिनांक: 21-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
638	मांग संख्या (क्रमांक 22) दि. 21-07-2019 (श्री रामेश्वर शर्मा,श्री शैलेन्द्र जैन)	(1) इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित अन्य शहरों में नए फ्लायओवर्स बनाया जाना। (2) प्रदेश की सभी कॉलोनियों को वैध किया जाना। (3) जिला उज्जैन में आगामी सिंहस्थ मेले के लिए सलाहकार समिति बनाया जाना।	(1) हम नये फ्लायओवर्स की प्लानिंग कर रहे है। (2) हर एक अवैध कालोनी को वैध करेंगे यह हमारा आश्वासन है। (3) इसके बारे में भी हम कुछ विचार करेंगे।		
639	मांग संख्या (क्रमांक 64) दि. 21-07-2019 (श्री भारत सिंह कुशवाह)	जिला ग्वालियर के 06 नवीन वार्डो में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डी.पी.आर. बनवाकर काम चालू कराया जाना।	आपके जो ग्वालियर के कुछ वार्ड हैं, उसमें आगे कार्य चालू करवाएंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक निर्माण विभाग

दिनांक: 21-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
640	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.503) दि. 21-07-2019 (श्री कुँवर सिंह टेकाम,श्री देवेन्द्र सिंह पटेल)	(1) गैरतगंज, सिलवानी, गाडरवारा मार्ग पर एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा अनुबंधित ठेकेदार से मरम्मत कार्य कराने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया जाना। (2) राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 के खण्ड कि.मी. 66.00 से 130.00 तक क्षतिग्रस्त पुलों को तोड़कर पुन: निर्माण कराया जाना। (3) गैरतगंज, सिलवानी, गाडरवारा मार्ग पर एम.पी.आर.डी.सी. से अनुबंधित ठेकेदार द्वारा मरम्मत कार्य न कराए जाने के बावजूद टोल वसूले जाने की जांच किया जाना। (4) जिला नरसिंहपुर के विधान सभा क्षेत्र तेंदूखेड़ा अंतर्गत निर्माणाधीन एन.एच.-12 की विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दौरा कर माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ चर्चा कर गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना तथा मरम्मत कार्य कराया जाना।	(1) अधिकारियों को निर्देशित कर देंगे। (2) निर्माण करा लेंगे। (3) **माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश** - (i) उसको दिखवा लीजिए, जांच करवा लीजिए। (ii) मंत्री जी यह दो तीन बातें थी उनको देख लीजियेगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | दिनांक: 21-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
641	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.136) दि. 21-07-2019 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया)	(1) संभाग उज्जैन व इंदौर के जिलों में स्थित शॉपिंग मॉलों से विगत एक वर्ष में लिए खाद्य पदार्थो के अमानक पाए गए नमूनों पर कार्यवाही की जाना। (2) प्रदेश के सभी डी-मार्ट मॉल की जांच करवाकर शिकायत रजिस्टर का रखना सुनिश्चित किया जाना।	(1) शेष 8 पर कार्यवाही प्रचलित है। (2) मार्ट की शिकायत रजिस्टर की भी जांच कराई जायेगी और वहां रजिस्टर भी रखवाया जायेगा। आप निश्चित रहें।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

दिनांक: 21-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
642	मांग संख्या (क्रमांक 20) दि. 21-07-2019 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया,श्री बहादुर सिंह चौहान,श्री कमल पटेल)	जिला रायसेन के उदयपुरा, बेगमगंज व सिलवानी में समूह नल-जल योजना एक सप्ताह में शुरू कराई जाना।	एक सप्ताह के अंदर निराकरण करके उस समस्या को दूर करने का काम करेंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

वन विभाग

दिनांक: 21-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
643	मांग संख्या (क्रमांक 10) दि. 21-07-2019 (डॉ. कुंवर विजय शाह,श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी)	(1) प्रदेश के सभी विभागों में अभियान चलाकर अनुकंपा नियुक्ति की भर्ती की जाना। (2) प्रदेश में बंदूक चलाकर एक बार में मात्र दो जंगली सुअर ही मार सकने के नियम में संशोधन कर बीस सुअर किया जाना। (3) प्रदेश में वन एवं राजस्व विभाग की भूमि संबंधी सभी विवाद 06 सदस्यीय समिति बनाकर शीघ्र निपटाया जाना। (4) प्रदेश में फसलों को नुकसान पहुंचाने पर जंगली सुअरों एवं नीलगाय को बंदूक चलाकर मारने की अनुमति में परमिट सम्मिलित किया जाना। (5) प्रदेश में बाघो का शिकार रोकने के लिए स्पेशल टाईगर फोर्स बनाया जाना। (6) प्रदेश के वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध उत्खनन की जांच कराई जाना। (7) प्रदेश में वन समितियों को पूरे अधिकार दिया जाना।	(1) **माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी :-** प्रदेशों में सब विभागों में अभियान चलाकर अनुकंपा नियुक्ति की भर्ती की जायेगी। (2) **माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश :-** (i)आपका नियम है कि हम बंदूक चलाकर एक बार में केवल दो सुअर मार सकते हैं। उसमें संशोधन करिये। (ii) आप दोनों अपने 3-3 सदस्यों के साथ, एक 6 सदस्यों की कमेटी बनाये जिसके मुखिया वन मंत्री जी होंगे यह कमेटी इस समस्या को सुलझाने में कम से कम समय लगाये और इन विवादों को जो बरसों से लंबित हैं, उन्हें निपटायें। (iii) परमिट भी सम्मिलित होना चाहिए। (3) **माननीय वन मंत्री जी :-** (i) हम लोग स्पेशल टाइगर फोर्स भी बना रहे हैं। (ii) आपके अवैध उत्खनन की भी जांच करा दी जायेगी। (iii) वन समिति के अधिकार के लिए उनको पूरे अधिकार मिलेगें।		